Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **नागौर में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना का कनिष्ठ सहायक 9 हजार 800 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *30 जुलाई, मंगलवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की नागौर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **अशोक कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना, जिला नागौर** को परिवादी से **9 हजार 800 रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की नागौर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि के.सी.सी. लोन में डिफाल्ट होने पर बैंक से सेटलमेंट होने के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी कार्यालय डेगाना से उसके विरूद्ध रोड़ा एक्ट की कार्यवाही बन्द करवाने एवं जमीन के म्यूटेशन में बैंक का नाम हटाने की एवज में आरोपी अशोक कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना, जिला नागौर द्वारा **9 हजार 800 रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी की नागौर इकाई की **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कल्पना सोलंकी** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी अशोक कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना, जिला नागौर को परिवादी से **9 हजार 800 रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी जयपुर की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135—02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**